75

पत्र सं०-एम-4-15/2022........10840........../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना-15, दिनांक-...21/11/2022

विषयः- **बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34, 176 एवं 177 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन के संबंध में ।**

प्रसंगः- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक-4220 दिनांक-10.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक ज्ञाप पत्र में निहित आदेश द्वारा अन्य संबंधितों को संसूचित कतिपय निदेश के साथ-साथ बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34, 176 एवं 177 के प्रावधानो का कठोरतापूर्वक अनुपालन कराने की अपेक्षा की गई है ।

वस्तुतः वाद संख्या-A5365/2021 (श्री मनोज कुमार मिश्र बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, मुंगेर/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, खगड़िया) की सुनवाई के क्रम में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34, 176 एवं 177 का संभवतः कठोरतापूर्वक पालन नहीं होने की स्थिति से मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग, बिहार को अवगत कराने का निदेश दिया गया है ।

विदित हो कि बिहार कोषागार संहिता का नियम-34 (विभागीय पत्रांक-3274 दिनांक 07.05.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश सहित) द्वारा सरकारी राशि को बैंक खाता में रखने, नियम-176 द्वारा केवल भुगतान हेतु आवश्यक राशि की निकासी ही कोषागार से करने तथा नियम-177 द्वारा मांगो की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नही किया जाना निर्धारित है । उक्त नियमों के अनुपालन के साथ-साथ बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने एवं अनावश्यक बैंक खातों को बंद करने का दिशा-निर्देश समय-समय पर विभागीय स्तर से दिया जाता रहा है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक 2575 दिनांक 14.05.2020 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश का अवलोकन प्रासंगिक होगा ।

अतएव संदर्भित सूचनाधिकार वाद में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुरोध है कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34, 176 एवं 177 तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत वित्त विभागीय दिशा-निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) ।
18/11/2022

74

ज्ञापांक-एम-4-15/2022......10540....**/वि०, पटना-15, दिनांक**...21/11/2022

प्रतिलिपिः-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को वाद संख्या-A5365/2021 में पारित आदेश (ज्ञापांक-4220 दिनांक 10.08.2022)/**अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-06** को पत्रांक-1687 दिनांक-14.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

18/11/2022

सचिव (संसाधन) ।